



# इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान (राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान)



जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष : 0141- 2706577-78 फ़ैक्स : 2706571

Web: www.igprgvs.rajasthan.gov.in , Mail: igprgvs@rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ 4 ( ) भण्डार/नीलामी/आईजीपीआरएस/2025/8373-76

दिनांक: 27/2/25

## नीलामी सूचना

इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान नये हॉस्टल, बेसमेन्ट स्टोर में उपलब्ध अनुपयोगी/नकारा सामान/उपकरणों की नीलामी की जानी है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-


### फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक एवं विविध स्टोर के नकारा सामान का विवरण

क्र.सं.	सामान का विवरण	पुस्तक मूल्य रुपयों में	बोली प्रतिभूति राशि रुपयों में	नीलामी की दिनांक समय एवं स्थान
1.	बिजली का पुराना सामान, बेड, T.V. सैनेटरी का पुराना सामान, कुर्सिया, पंखे, कुलर, भोजन थाली, प्लास्टिक के मग्गे/बाल्टी, पदटे इत्यादी सामान	1830698/-	5000/-	दिनांक 27.02.2025 को दोपहर 12.00 बजे से बोली प्रारम्भ की जावेगी। स्थान:- संस्थान परिसर

### नीलामी की शर्तें व विवरण निम्नानुसार है:-

- नीलामी किये जाने वाले उपकरणों/सामानों की सूची व सामान का निरीक्षण कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है।
- नीलामी की बोली लगाने से पूर्व निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी। बोली प्रतिभूति राशि दिनांक 27.02.2025 को प्रातः 11:00 बजे तक संस्थान में जमा करवाई जा सकेगी। बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में कोई भी व्यक्ति बोली लगाने का हकदार नहीं होगा।
- बोलीदाता द्वारा रुपये 100/- के स्टाम्प पेपर पर इस बाबत शपथ पत्र दिया जाना होगा कि उक्त सामान का निस्तारण e Waste (Management & Handling) Rules 2010 के अनुसार किया जावेगा।
- नीलामी सामाप्ति पर अंतिम बोलीदाता द्वारा उच्चतम बोली राशि की 50 प्रतिशत राशि उसी दिवस को तथा शेष 50 प्रतिशत राशि तथा नियमानुसार जीएसटी की राशि आगामी 03 कार्य दिवस में डी.डी के रूप में जमा कराकर कार्यालय समय में 07 दिवस में सामान को उठाना होगा। सामान समय पर नहीं उठाने पर एवं शेष राशि जमा नहीं कराने पर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
- बिना कोई कारण बताये नीलामी को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति को होगा।

6. द्वितीय अधिकतम की बोली प्रतिभूति राशि प्रथम अधिकतम बोलीदाता के द्वारा 50 प्रतिशत राशि जमा करवा दिये जाने के उपरान्त ही लौटायी जावेगी। शेष बोलीदाताओं की अमानत राशि उसी दिन बोली समाप्ति के पश्चात् लौटा दी जावेगी।
7. नीलामी हेतु सामान जहाँ है जैसी स्थिति में है नीलाम किया जावेगा।
8. नीलामी बोली में बढ़ोतरी 1000 रूपये के गुणांक में ही स्वीकार होगी, एक बोली से दुसरी बोली के मध्य अधिकतम 1 मिनट का समय दिया जायेगा।
9. सामान की सुपुर्दगी के पश्चात किसी भी नुकसान/कमी के लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा।
10. सफल अधिकतम बोलीदाता को सामान की डिलीवरी लेने से पूर्व अपनी पहचान एवं स्थाई पते के सत्यापन हेतु समुचित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
11. किसी विवाद की स्थिति में समुचित न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर रहेगा।
12. आरक्षित बोली राशि 75000/- निर्धारित है। बोली उक्त राशि से ही प्रारम्भ की जायेगी।
13. नीलामी सूचना पत्र पर लिखी शर्तों से सहमति हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर नीलामी आवेदन कर्ता के हस्ताक्षर आवश्यक है।
14. नीलामी प्रक्रिया एवं शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान वित्तिय एवं लेखा सेवा के नियम इस नीलामी प्रक्रिया के भाग होंगे।

  
अतिरिक्त निदेशक



इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान  
(राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान)



जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष : 0141- 2706577-78 फ़ैक्स : 2706571

Web: [www.igprgvs.rajasthan.gov.in](http://www.igprgvs.rajasthan.gov.in) , Mail: [igprgvs@rajasthan.gov.in](mailto:igprgvs@rajasthan.gov.in)


क्रमांक: एफ 4 ( ) भण्डार/नीलामी/आईजीपीआरएस/2025/ 8424-27

दिनांक: 27/2/2025

नीलामी सूचना


संस्थान के नये हॉस्टल के बेसमेन्ट के भण्डार में रखे सामान यथा बिजली का पुराना सामान, बैड, टी.वी. सेनेट्री का पुराना सामान, कुर्सिया, पंखे, कूलर, भोजन थाली, पिलास्टिक मग/जग/पट्टे/बाल्टी इत्यादि सामान की नीलामी दिनांक 09.03.2025 को प्रातः 11:00 बजे से प्रारम्भ की जावेगी। इच्छुक क्रेता फर्म राशि 5000/- की अमानत राशि जमा करवाकर नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकेगा।

विस्तृत विवरण संस्थान की वेबसाईट [www.igprgvs.rajasthan.gov.in](http://www.igprgvs.rajasthan.gov.in) व संस्थान के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है।

  
अतिरिक्त निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, माहानिदेशक संस्थान
2. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, संस्थान
3. प्रभारी अधिकरी, भण्डार शाखा, संस्थान
4. अतिरिक्त निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त नीलामी सूचना को राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रेषित करवाए।

  
उपनिदेशक (प्रशा.)